न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 08 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भूराराम पुत्र प्रभूराम
2. पताराम पुत्र प्रभूराम
3. भगवानाराम उर्फ बांकाराम पुत्र प्रभूराम
4. तगाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी करनपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.पूनमाराम पुत्र लाखाराम
2.भोमाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी करनपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व आवेदन संख्या 155 / 2018 बअनवान पूनमाराम वगैरह बनाम भूराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2019।

उपस्थिति

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री निम्बाराम बेनिवाल रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 23.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन अंतगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 14.05.2018 को मौजा करनपुर पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 126 रकबा 90.02 बीघा, खसरा संख्या 209 / 137 रकबा 56.05 बीघा के संबंध में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपीलांटगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई, तत्पश्चात दिनांक 16.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के ताफैसला तक स्थायी कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा दिनांक 18.02.2016 को तहसीलदार बायतु को पत्र प्रेषित कर विप्रार्थीगण की भूमि की पक्की नेखमबंदी करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर अब प्रार्थीगण की नियत में खोट आने के कारण अपने खेत की पैमाईश करवाने की बजाय विप्रार्थीगण की नेखमबंदी में बाधा कारित करने की बदनियत से अपीलांटगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन व वाद बेबुनियाद एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। उतरदातागण द्वारा अपने हक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हिस्से से अधिक भूमि गैर कानूनी रूप से दबा कर रखी है जबकि वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि की मंशा के विपरित पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण ने मनगढंत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया है। रेस्पोडेंटगण ने अपने खेत खसरा संख्या 126 रकबा 90.02 बीघा से अधिक अपीलांट की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांटगण ने अपने खेत खसरा संख्या 689/25 रकबा 86.00 बीघा की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 28.05.2013 को आदेश प्राप्त किया गया थ जिस पर दिनांक 24.06.2014 को हल्का पटवारी व आर आई द्वारा अपीलांटगण के खेत की पक्की नेखमबंदी करने हेतु पैमाईश की गई, तब रेस्पोडेंटगण का अपने खसरे के रकबे से अधिक अपीलांटगण की भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया गया, जिस पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा नहीं हटाया जाए इस पटवारी आर आई एवं मौजिज लोगो के रूबरू आवश्वासन दिया की वो अपने खेत का नाप करवाने के बाद जहां पर सेढा आयेगा अपीलांटगण के खेत की नेखम स्थापित करवा देगा, इस आशय की मौका फर्द अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई परन्तु करीब चार वर्ष बाद भी रेस्पोडेंट ने अपने खेत की पैमाईश नहीं करवाई तथा अपीलांटगण के खेत की नेखमबंदी में बाधा कारित करने की बदनियत से अपीलांटगण के विरूद्ध स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय में पारित करवाया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा करनपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु में आइ हुई है। रेस्पोडेंट की भूमि में अपीलांटगण पुराने सेढों को तोड़कर नेखमबंदी की आड़ में रेस्पोडेंट की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अपीलाटगण नेखमबंदी के आधार पर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को अपने कब्जे से बेदखल नहीं कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य अपने–अपने खेतों की नेखमबंदी करवाने पर सहमति जाहिर हुई थी जो अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है। अपीलांट ने इस सहमति के अनुक्रम में अपने खेत की नेखमबंदी करवाने के लिए विधिवत रूप से आवेदन सक्षम राजस्व न्यायालय में पेश कर दिया परन्तु रेस्पोडेंटगण की ओर से इसकी पालना में कोई कार्यवाही नहीं की। रेस्पोडेंटगण के पक्ष में आलोच्य निर्णय स्थाई व्यादेश का हो जाने के कारण अपीलांट के खेत की नेखमबंदी कार्यवाही में स्थगन के फलस्वरूप अड़चन पैदा हो गई। इसमें अपीलांट पक्ष के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और इसलिए अब मामला पृथमदृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटगण स्वयं द्वारा जाहिर सहमति पालना भी उनके द्वारा जानबूझकर नहीं की जा रही है इसलिए अपीलांट पक्ष को अपूरणीय क्षति की भी संभावना से इंनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलांटगण को स्वयं के खातेदारी खेत मौजा करनपुर के खसरा संख्या 689/25 रकबा 86 बीघा की नेखमबंदी करवाने के अधिकार से अपीलाधीन आदेश की आड़ में वंचित करना न्यायोचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। एवं आलोच्य निर्णय में शिथिलता प्रदान करते हुए अपीलांटगण को अपने उक्त खातेदारी खेत की नेखमबंदी करवाने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस कार्यवाही में आलोच्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बाधक नहीं रहेगा।

(तखतपाल पारीक)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर